भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतरांकित प्रश्न सं. 3539

10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: नए मंत्रालय की विधिक रूपरेखा

3539. श्री के. सुधाकरन:

श्री के. मुरलीधरन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे विस्तृत कानूनी और संवैधानिक औचित्य क्या हैं जिनके आधार पर नया केन्द्रीय मंत्रालय बनाया गया है जबकि सहकारी समितियां भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती है और इसलिए यह राज्य सरकारों के दायरे में आनी चाहिए;

(ख) क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षा उपाय तैयार किया है, करने का विचार है कि सहकारी समिति अधिनियमों के तहत राज्यों की संबंधित शक्तियों का केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): सरकार की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और इसकी प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए मंत्रालयों/विभागों का पुनर्गठन/विलय/सृजन किया जाता है। नए सहकारिता मंत्रालय का सृजन, अन्य बातों के साथ-साथ, 'सहयोग के माध्यम से समृद्धि' को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ-साथ तत्कालीन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के कार्य में सहयोग और सहकारिता से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों को हस्तांतरित करके किया गया है।

(ख) एवं (ग): देश में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना, सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश का एक अभिन्न अंग है।

*****